

कॉलेज डॉक्टर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प0 17/19/451

दिनांक:- 24/6/19

—:आदेश:—

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.06.19, 12.06.19 एवं 18.06.19 के द्वारा पीजी पूर्ण होने के पश्चात आदेशों की प्रतीक्षारत चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेशों की पालना में नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने वाले चिकित्सकों की सूचना सम्बन्धित चिकित्सकों एवं नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निदेशालय को प्रेषित नहीं की गई है।

अतः सम्बन्धित चिकित्सकों व नियंत्रण अधिकारियों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार के आदेशों की अक्षरशः पालना करते हुए कार्यग्रहण की सूचना तत्काल निदेशालय को प्रेषित करें।

अन्यथा बॉण्ड की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित चिकित्सक से राशि वसूली की कार्यवाही आरम्भ करते हुए रजिस्ट्रेशन निरस्त के लिए रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल को सूचित कर दिया जायेगा एवं अनुपस्थिति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रस्तावित कर दी जावेगी। जिसके लिए सम्बन्धित चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प0 17/19/451

दिनांक:- 24/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों के तहत आपके अधीन पदस्थापित किये गये चिकित्सकों के कार्यग्रहण की रिपोर्ट शीघ्र [adddirgaz@gmail.com](mailto:adddirgaz@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आपके स्तर से कार्यग्रहण की सूचना अपेक्षित होने पर किसी भी चिकित्सक के विरुद्ध उक्त कार्यवाही सम्पादित की जाती है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 5 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 6 निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।